133

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किल कोर्ड

रीवा (म0प्र0) II/पु.स्थापन/सिंगरौली/2018/0598

1. दुखई पिता रीचन कोल
2. अमोल पिता गौहर तेली

दोनों निवासी ग्राम–हिवा, तहसील–देवसर, जिला–सिगरौली (म0प्र0)

3. म0प्र0 शासन

..... **निगरानीकर्तागण**

बनाम

प्रेमवती पत्नी हिंचपतीराम ब्रा0 निवासी ग्राम–हिवा, तहसील–देवसर, जिला–सिगरौली (म0प्र0)

.....**गैरनिगरानीकर्ता**

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् तहसीलदार त्योंथर प्रकरण कमांक–46/अ63अ/12–13 आदेश दिनांक 30–05–2015 एवं उपखण्ड अधिकारी देवसर, जिला–सिगरौली का प्रकरण कमांक–140/अपील/1/14–15 आवेदन–पत्र बावत् प्रकरण पुनःस्थापित किये जाने

महोदय,

आवेदन–पत्र के आधार निम्नलिखित हैं:–

1. यह कि उक्त उन्मानित प्रकरण अनावेदक की तलबी हेतु माननीय न्यायालय में लंबित है।
2. यह कि दिनांक 17–01–2017 को माननीय न्यायालय में प्रकरण नीयत था एवं उसी दिनांक नियुक्त अधिवक्ता अन्य जगहों के न्यायालय में न्यायालयीन कार्य में व्यस्त होने के कारण माननीय न्यायालय में विलम्ब से उपस्थित हुये जिससे उक्त प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका था चूँकि

III/पुनर्स्थापन/सिंगरौली/अ.रा./2018/0598 27
दुखई कोल - प्रेमवती

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के [illegible]
15-3-18.	1- आवेदक गण की ओर से श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा एड. उप.। 2- आवेदक अभिभाषक द्वारा मूल प्रकरण क्रमांक R-5070-दो/16 अदम पैरवी आदेश दिनांक 17-1-17 को पुनः नम्बर में लिये जाने तथा आवेदक क्रमांक-1 दुखई कोल तथा अनावेदक क्र.2 अमोल तेली की मृत्यु होने से वारिस को पक्षकार बनाये जाने का आवेदन पेश किया गया। अभिभाषक के तर्क सुना गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया। न्यायहित में प्रकरण क्रमांक R-5070-दो/16 पुनः नम्बर में लिया जाता है। तदनुसार मूल प्रकरण चालू किया जावे। 3- अनावेदक क्रमांक-1 व 2 की मृत्यु होने के कारण वारिस को पक्षकार बनाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। तदनुसार नाम स्याही से सुधार किया जावे। 4- उक्त कार्यवाही पूर्ण पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त किया जावे। पत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। [illegible]	[illegible] [illegible]